

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त स्टाम्प,
30प्र0 लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2023

विषय-राज्य में प्रख्यापित विभिन्न नीतियों के अन्तर्गत, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं में अनुमन्य स्टाम्प शुल्क छूट लेने की प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश।

महोदया,

उत्तर प्रदेश में उद्यम को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा पृथक-पृथक निवेश प्रेरक नीतियां एवं योजनाएं प्रख्यापित की गई हैं। उपरोक्त नीतियों एवं योजनाओं में से अधिकांश में भूमि के क्रय एवं अन्य संपत्ति संबंधित विलेखों पर स्टांप दर में छूट का प्रावधान किया गया है। उक्त को प्राप्त करने हेतु, एवं छूट की शर्तों का पालन न होने की दशा में की जाने वाली कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु प्रावधान स्पष्ट होना अति आवश्यक है।

वर्तमान में उपलब्ध नीतियों एवं योजनाओं के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश शासनादेशों में स्टांप छूट की प्राप्ति की प्रक्रिया में अस्पष्टता है। उक्त के दृष्टिगत इन सभी योजनाओं में व्यक्त स्टाम्प छूट के प्रावधानों के संचालन में जटिलताओं को दूर करना एवं यथासंभव एकरूपता लाना तथा इस प्रक्रिया को उद्यमी के साथ-साथ क्रियान्वयन करने वाले अधिकारियों हेतु स्पष्ट बनाना आवश्यक है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरांत उद्यम प्रेरक नीतियों/योजनाओं के अंतर्गत स्टाम्प छूट की प्राप्ति एवं नीति/योजना की शर्तों का अनुपालन न होने की दशा में की जाने वाली कार्यवाही के विषय में निम्नवत प्रावधान स्थापित किए जाते हैं:-

यदि किसी नीति/योजना के प्रख्यापक विभाग की व्यवस्था में वर्णित प्रावधान इन प्रावधानों से विरोधाभाषी अथवा विसंगत प्रकट होते हैं तो ऐसी दशा में इस शासनादेश के प्रावधान लागू होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

किसी भी नीति/योजना के सन्दर्भ में यह व्यवस्था उक्त नीति/योजना की अधिसूचना की तिथि से नीति/योजना में वर्णित (एवं यथासंशोधित) नीति/योजना के प्रभावी अवधि तक ही प्रभावी होगा।

1-प्रमाणीकरण संस्था/प्राधिकारी-

1.1- यदि विकासकर्ता/इकाई द्वारा केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी, संस्था से भूमि क्रय/लीज पर प्राप्त किया जाना है, तो सम्बन्धित केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी अथवा संस्था प्रमाणीकरण संस्था होगी।

1.2- यदि विकासकर्ता/इकाई द्वारा भूमि निजी स्रोत से प्राप्त की जा रही है तो उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम/जिला उद्योग केन्द्र/प्रख्यापक विभाग का जिला स्तर से अनिम्न अधिकारी प्रमाणीकरण प्राधिकारी होगा।

1.3- प्रमाणीकरण संस्था द्वारा विकासकर्ता/इकाई का नाम, पता, विकासकर्ता/इकाई का स्वरूप (प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/कॉरपोरेशन/लिमिटेड कम्पनी/को-आपरेटिव सोसायटी/स्थानीय निकाय/राजकीय विभाग इत्यादि), पैन नम्बर, उद्यम पंजीकरण का विवरण एवं भूमि प्राप्त करने के प्रयोजन के आधार पर स्टाम्प शुल्क से छूट की धनराशि का प्रमाणक निर्गत किया जाएगा, जिसका विस्तृत विवरण/प्रारूप संलग्नक-"क" में उल्लिखित है।

2-स्टाम्प शुल्क छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया-

2.1- छूट प्राप्त करने हेतु विकासकर्ता/इकाई द्वारा ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन किया जायेगा और परियोजना का प्रस्ताव प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित प्रमाणीकरण संस्था को प्रस्तुत किया जाएगा। इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भूमि की परियोजना की प्रकृति के अनुसार मानक का परीक्षण करते हुए प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-"क") पर प्रमाण पत्र संबंधित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र/प्रख्यापक विभाग के जिला स्तर से अनिम्न अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

2.2- विकासकर्ता द्वारा प्रमाणीकरण संस्था के साथ एक अनुबन्ध पत्र (संलग्नक-"ख") रू० 100/- के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जायेगा जिसमें निर्धारित शर्तों का उल्लेख एवं निर्धारित अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने अथवा औद्योगिक पार्क/एस्टेट/एग्रो पार्कों के विकास से सम्बन्धित विकासकर्ता/इकाईयों की दशा में वर्णित प्रयोजन की पूर्ति करने की वचन बद्धता होगी और शर्तों के उल्लंघन/दुरुपयोग तथा प्रयोजन पूर्ति में विलम्ब की स्थिति में स्टाम्प ड्यूटी में देय छूट के समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी को भुनाकर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

धनराशि को स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराये जाने की शर्त का अनिवार्य रूप से उल्लेख होगा।

2.3- पक्षकार द्वारा प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र तथा अनुबन्ध पत्र के साथ, संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के पक्ष में, स्टाम्प शुल्क से छूट के समतुल्य धनराशि की Irrevocable बैंक गारंटी भी महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/प्रख्यापक विभाग के जिला स्तर से अनिम्न अधिकारी को निबन्धित किये जाने वाले विलेख के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

2.4- महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/प्रख्यापक विभाग के जिला स्तर से अनिम्न अधिकारी अथवा जिलाधिकारी विलेख पर साक्षी के रूप में इस तथ्य की पुष्टि के प्रयोजन के लिए हस्ताक्षर करेंगे कि यह हस्तान्तरण/पट्टा संबंधित नीति के अधीन निष्पादित किया जा रहा है।

3-बैंक गारण्टी-

3.1- सामान्यतः बैंक गारण्टी जिला मजिस्ट्रेट के पक्ष में बंधक रखी जायेगी। परन्तु यदि नीति/योजना में किसी अन्य प्राधिकारी/संस्था के पक्ष में बैंक गारण्टी बंधक रखने का प्रावधान है तो उक्त प्रावधान लागू होगा। परन्तु वह प्राधिकारी/संस्था जिला स्तर से अनिम्न होगा। बैंक गारण्टी संबंधित उप निबन्धक कार्यालय में अनुरक्षित रखी जायेगी।

3.2- बैंक गारण्टी विलेख पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची-1(बी) के अनुच्छेद-12(ए) के अधीन बैंक गारण्टी की धनराशि पर 0.5 प्रतिशत की दर से अधिकतम ₹० 10,000/- तक स्टाम्प शुल्क देय होगा। शासकीय संस्था से भूमि आवंटन होने की दशा में भूमि पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी का आगणन सर्किल दर पर किया जायेगा जबतक वह प्रथम आवंटनी न हो।

3.3- बैंक गारण्टी की अवधि नीति में निर्धारित अवधि से न्यूनतम एक वर्ष अधिक तक की होगी।

3.4- कतिपय नीति/योजना में स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है। उन नीतियों/योजनाओं के अधीन लगायी जा रही इकाईयों के प्रकरण में बैंक गारण्टी नहीं ली जायेगी अपितु विलेख पर प्रभार्य पूर्ण स्टाम्प शुल्क यथाविधि प्राप्त किया जायेगा।

4- विलेख के निबन्धन के समय उपनिबन्धकों को निर्देश-

4.1- उप निबन्धक यह सुनिश्चित करेंगे कि विलेख पर संबंधित नीति व संगत अधिसूचना के अधीन अन्तरण की पुष्टि व इस प्रयोजन हेतु जिलाधिकारी अथवा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/प्रख्यापक विभाग के जिला स्तर से अनिम्न अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

4.2- उप निबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि भूखण्ड का आवंटन पूर्व में भी हुआ हो तो, वर्तमान आवंटी के पक्ष में निबन्धन के समय रू० 100/- के स्टाम्प पत्र पर पूर्व आवंटी व आवंटन करने वाली संस्था के मध्य समर्पण विलेख पंजीकृत हुआ है।

4.3- उप निबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंक गारण्टी विलेख पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची-1(बी) के अनुच्छेद-12(ए) के अधीन बैंक गारण्टी की धनराशि पर 0.5 प्रतिशत की दर से (अधिकतम रू० 10,000/-) स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

4.4- उपनिबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि वर्तमान आवंटी के पक्ष में निबन्धन के समय भूखण्ड पर निर्माण व मशीनरी विद्यमान है तो यथाविधि प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की अदायगी सहित हस्तान्तरण विलेख निबन्धित कराया गया है।

4.5- उप निबन्धक यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंक गारण्टी की अवधि नीति में उल्लिखित परियोजना के प्रकार एवं विशिष्टि के अनुसार निर्धारित अवधि (जो कि परियोजना के Letter of comfort में वर्णित हो) से एक वर्ष अधिक की हो।

4.6- केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी, संस्था से भूमि क्रय/लीज पर प्राप्त भूमि पर यदि पूर्व आवंटी द्वारा विगत 05 वर्ष में स्टाम्प शुल्क छूट ली गई थी तो राज्य के पक्ष में उसकी प्रतिपूर्ति कराने के पश्चात ही वर्तमान आवंटी को छूट देते हुए निबन्धन कराया जायेगा। निजी स्रोत से प्राप्त भूमि (क्रय/लीज) पर यदि विगत 05 वर्ष में किसी नीति अथवा योजना के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क में छूट प्राप्त की गई हो तो ऐसी दशा में वर्तमान में कोई स्टाम्प शुल्क छूट नहीं दी जायेगी।

4.7- उपनिबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि निबन्धन के समय विलेख के साथ भूखण्ड का छायाचित्र विलेख का भाग हो।

5-परियोजनाओं के प्रकार के आधार पर स्टाम्प शुल्क छूट हेतु भूमि के अधिकतम अनुमन्य क्षेत्रफल का निर्धारण-

5.1- जो इकाईयां औद्योगिक विकास विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में आती हैं, उन इकाईयों हेतु स्टाम्प शुल्क छूट का लाभ अधिकतम अनुमन्य क्षेत्रफल पर ही मिलेगा, जो कि औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश सं०-1516/77-6-18-05(एम)/17 दिनांक 01-05-2018 (यथा संशोधित अथवा यथा प्रतिस्थापित) के अनुसार होगा।

5.2- अन्य विभागों के प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाली इकाईयों के संबंध में यह अनुमन्य क्षेत्रफल इस निमित्त प्रख्यापित विभागीय शासनादेश के अनुसार होगा। परन्तु यदि इस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

निमित्त कोई विभागीय शासनादेश जारी नहीं हुआ हो तो ऐसी दशा में प्रस्तर-5.1 के अन्तर्गत दी गई अधिकतम सीमा लागू होगी।

6-बैंक गारण्टी के संबंध में अवमुक्त/जब्त करने हेतु निर्णय लेने की प्रक्रिया-

6.1- बैंक गारण्टी को अवमुक्त अथवा जब्त किये जाने के संबंध में, जनपद स्तरीय उद्योग बन्धु की अनुशंसा पर जनपद स्तर पर, जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

6.2- प्रयोजन की पूर्ति होने पर विकासकर्ता/इकाई द्वारा महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र/प्रख्यापक विभाग के जिला स्तर से अनिम्न प्राधिकारी या संस्था के माध्यम से जिलाधिकारी (अध्यक्ष, जनपद स्तरीय उद्योग बन्धु) को बैंक गारण्टी वापस करने हेतु आवेदन पत्र दिया जायेगा।

6.3- महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र/प्रख्यापक विभाग के जिला स्तर से अनिम्न प्राधिकारी द्वारा प्रयोजन की पूर्ति अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने का भौतिक सत्यापन करते हुए एक प्रमाण पत्र (संलग्नक-"ग") के साथ जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा, तथा जनपद स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

6.4- ऐसी बैठक में उप निबन्धक तथा सहायक आयुक्त स्टाम्प एवं प्रमाणीकरण संस्था के प्रतिनिधि को विशेष रूप से आमंत्रित किया जायेगा।

6.5- समिति द्वारा प्रत्येक प्रस्तुत बैंक गारंटी उन्मोचन आवेदन पर परीक्षण प्रस्तर-7 एवं प्रस्तर-8 में उल्लेखित बिंदुओं के अनुसार किया जाएगा। जो प्रकरण प्रस्तर-7 के समस्त अर्हताओं को पूर्ण करते हों, एवं साथ ही प्रस्तर-8 में उल्लेखित किसी भी अनर्हता से आच्छादित ना हो, केवल उन्हीं प्रकरणों में बैंक गारंटी अवमुक्त करने पर विचार किया जाएगा।

6.6- उपरोक्त प्रस्तरों में वर्णित प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए जिला उद्योग बन्धु समिति की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा बैंक गारंटी अवमुक्त करने पर निर्णय लिया जाएगा।

7- बैंक गारण्टी अवमुक्त करने के आधार-बैंक गारण्टी को अवमुक्त किये जाने के संबंध में, जनपद स्तरीय उद्योग बन्धु की अनुशंसा पर जनपद स्तर पर, जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित आधारों पर निर्णय लिया जायेगा-

7.1- प्रकरण में नवीन इकाई की स्थापना की गई है, अथवा पूर्व से संचालित इकाई का विस्तारीकरण (यदि नीति/योजना एवं अधिसूचना में अनुमन्य है तो) किया गया है।

7.2- लिखत (Instrument) की प्रकृति स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की अधिसूचना में वर्णित अथवा प्रख्यापक विभाग की अधिसूचना में वर्णित प्रकृति की है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

7.3- विलेख पर जिला मजिस्ट्रेट अथवा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/प्रख्यापक विभाग के जिला स्तर से अनिम्न अधिकारी द्वारा यह पुष्टि करते हुए हस्ताक्षर किये गये हैं कि "यह विलेख (नीति या योजना का नाम) के अधीन कार्य हेतु निष्पादित की जा रही है"।

7.4- निर्धारित अवधि के अन्दर उस प्रयोजन की पूर्ति की गई हो/वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया हो, जिसके लिए छूट ली गई है।

7.5- निर्धारित अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किये जाने एवं प्रयोजन पूर्ति किये जाने का प्रमाणक (द्वारा उपायुक्त उद्योग/प्रख्यापक विभाग के जिला स्तर से अनिम्न अधिकारी), एवं सहायक आयुक्त स्टाम्प की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।

7.6- नीति/एस०ओ०पी० एवं उसके अधीन समय-समय पर निर्गत समस्त शासनादेशों में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लिया गया हो। समिति को विभाग के अद्यतन शासनादेशों के विषय में अवगत कराने का उत्तरदायित्व प्रख्यापक विभाग के जिला स्तर से अनिम्न अधिकारी का होगा।

7.7- बैंक गारण्टी अवमुक्त करने के उपरोक्त आधारों की पूर्ति न होने पर बैंक गारण्टी जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसके आधार प्रस्तर-8 में उल्लिखित हैं।

8-बैंक गारण्टी जब्त करने के आधार- बैंक गारण्टी को जब्त किये जाने के संबंध में, जनपद स्तरीय उद्योग बन्धु की अनुशंसा पर जनपद स्तर पर, जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित आधारों पर निर्णय लिया जायेगा-

8.1- लिखत (Instrument), यदि अधिसूचना में उल्लिखित हस्तान्तरण/पट्टे की लिखत (Instrument) से भिन्न है,

8.2- लेखपत्र पर महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/जिला मजिस्ट्रेट एवं यदि नीति/योजना का प्रख्यापक विभाग, उद्योग विभाग से भिन्न हो तो प्रख्यापक विभाग के जनपद स्तर से अनिम्न अधिकारी के द्वारा, इस टिप्पणी के साथ पुष्टि नहीं की गई हो कि "यह विलेख (नीति या योजना का नाम) के अधीन कार्य हेतु निष्पादित की जा रही है"।

8.3- पूर्व से स्थापित व संचालित इकाई के विक्रय/अन्तरण के क्रम में होने वाले पट्टे अथवा बैनामे पर या किसी अन्य गलत तथ्यों के आधार पर छूट ली गई है।

8.4- निर्धारित अवधि के अन्दर प्रयोजन की पूर्ति नहीं की गई है/वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया गया है।

8.5- जिस प्रयोजन के लिए छूट ली गई है, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु भूखण्ड का उपयोग किया जा रहा है,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

8.6- अधिसूचना व समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लेखित किसी अन्य शर्त का उल्लंघन किया गया है अथवा मांगने पर वांछित अभिलेख व सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

8.7- यदि इकाई द्वारा नीति में निर्धारित अवधि में प्रयोजन पूर्ति नहीं की जाती है तो उपायुक्त उद्योग/प्रख्यापक विभाग के जनपद स्तर से अनिम्न अधिकारी के द्वारा, 30 दिन के अन्दर इसकी सूचना जिलाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि बैंक गारण्टी को भुनाकर धनराशि को स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखाशीर्षक में जमा कराया जा सके।

कृपया उपरोक्त प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीया,

लीना जोहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या-4/2023/405(1)/94-स्टा10नि0-2-2023 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्।
- 4-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5-समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
- 6-प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 7-स्टॉफ ऑफिसर, अध्यक्ष, राजस्व परिषद्।
- 8-प्रमुख सचिव, औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9-विशेष कार्याधिकारी, कृषि विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 10-प्रबंध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 11-प्रबंध निदेशक, यू.पी.एस.आई.डी.ए. कानपुर।
- 12-प्रबंध निदेशक, उ०प्र० वित्तीय निगम, कानपुर।
- 13-औद्योगिक विकास आयुक्त शाखा के समस्त अधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

14-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट्यूपी, लखनऊ।

15-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/नोयडा/ग्रेटर नोयडा/गीडा/ बीडा/सीडा/लीडा।

16-समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश सहित कि शासनादेश व अधिसूचनाओं को कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा करायें।

17-गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-क

".....नीति 20....." के अन्तर्गत विकासकर्ता द्वारा स्टैम्प शुल्क से छूट हेतु दिये गये आवेदन-पत्र पर प्रमाणीकरण संस्था का प्रमाण पत्र

1. विकासकर्ता/इकाई का नाम-.....
2. विकासकर्ता/इकाई का पता.....
3. विकासकर्ता/इकाई का स्वरूप (प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/कॉरपोरेशन लिमिटेड कम्पनी को-आपरेटिव सोसायटी/स्थानीय निकाय/राजकीय विभाग).....
4. पैन नम्बर.....
5. विकासकर्ता/इकाई के स्वामी/प्रवर्तक साझेदारों/निदेशकों के नाम पता एवं सम्पर्क विवरण (निवास के प्रमाण सहित).....
नाम.....
पता.....
आधार संख्या.....
दूरभाष संख्या.....
फैक्स संख्या.....
मोबाईल संख्या.....
ई-मेल.....
वेबसाइट.....
संख्या.....
6. उद्यम पंजीकरण का विवरण.....
दिनांक.....
(साक्ष्य के रूप में पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न करें)
7. पंजीकृत उत्पाद एवं क्षमता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

8.भूमि अथवा शेड अथवा औद्योगिक टेनमेन्ट क्रय/लीज पर प्राप्त करने का प्रयोजन.....

9. औद्योगिक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की प्रस्तावित तिथि अथवा औद्योगिक पार्को एस्टेटो/एग्रो पार्क के विकास से सम्बन्धित विकासकर्ता/इकाईयों की दशा में प्रयोजन की पूर्ति होने की प्रस्तावित तिथि.....

10. केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी, संस्था का नाम जहाँ से भूमि अथवा शेड अथवा औद्योगिक टेनमेन्ट लीज पर प्राप्त किया गया है.....

11. वित्तीय संस्था का नाम जहाँ से ऋण प्राप्त किया गया हो/जा रहा हो.....

12. वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि व दिनांक..... (साक्ष्य के रूप में वित्तीय संस्था द्वारा जारी स्वीकृत ऋण प्रपत्र एवं अनुबंध पत्र की प्रति संलग्न करें)

13. स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करने वाली धनराशि.....

14. यदि इकाई द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था निजी स्रोत से भी भूमि अथवा शेड कप/सौर पर प्राप्त किया गया है तो उसका सम्पूर्ण विवरण (साक्ष्य के रूप में संस्था द्वारा जारी प्रपत्र एवं अनुबंध पत्र की प्रति संलग्न करें).....

15. स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करने हेतु भूमिशेड अथवा औद्योगिक टेनमेन्ट का विवरण.....

भूमिशेड अथवा औद्योगिक टेनमेन्ट का विवरण(खसरा)	क्षेत्रफल एकड़ में एवं दर	भूमिशेड अथवा औद्योगिक टेनमेन्ट का कुल मूल्य
1		
2		
3		
योग		

प्रमाणित किया जाता है कि विकासकर्ता/इकाई द्वारा दिये गये संलग्न अनुबन्ध में निर्धारित शर्तों का उल्लेख करते हुये विक्रम/पद्य विलेख के निबन्धन की तिथि से नीति में निर्धारित अवधि अधिकतम.....के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

अथवा औद्योगिक पार्को एस्टेटो/एम्पो पार्को के विकास से सम्बन्धित कर्ता/इकाईयों की दशा में वर्णित प्रयोजन की पूर्ति करने का आश्वासन दिया गया है और उसमें विलम्ब की स्थिति में स्टाम्प ड्यूटी में देय छूट के समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी को निबन्धन विभाग द्वारा भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखाशीर्षक में जमा कराये जाने की बाध्यता का भी उल्लेख किया गया है।

विकासकर्ता/इकाई के सन्दर्भ में दी गयी सूचना अनुबन्ध व उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार है तय समस्त अंकित विवरण सत्य है जिसके आधार पर स्टाम्प ड्यूटी में देय कुल रूपये.....की छूट दिये जाने की अनुशंसा की जा रही है।

अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

दिनांक-

स्थान-

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-ख
DRAFT AGREEMENT
(On Non Judicial Stamp Paper of Rs.100/-)

This agreement made on this..... day of.....in the year.....Between M's..... a firm/company/a society incorporated and registered under the Company Act 1956 (1 of 1956)/Society Registration Act 1860/ Indian Partnership Act-1860 and having its registered office at..... (hereinafter called "the Allottee" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof include its successors and assigns through ShriOwner/Directors authorized by the Board of Directors of the company/society vide Resolution passed in the behalf on, of the.....One Part.

And the.....a statutory body established under theAct and having its head office at..... (hereinafter called "the Certifying Agency" which expression shall include the Chairman/Managing Director or any authorised by the Board of Director) of the Other Part.

WHEREAS:

1-The Government of Uttar Pradesh (hereinafter called "the state government") has furnished a scheme to remit stamp duty to the extent shown in notification no, dated-..... specified purpose. Chargeable in respect of the instruments as shown in notification Policy 20.....of the State mentioned in notification of the said schedule to setup a new Industrial unit or an un making expansion or diversification thereof.

2-The certifying agency has been appointed by the State Government for operating this scheme.

3-The Allottee has applied for purchase or lease of land, shed or industrial tenement for the purpose specified as..... (to established new industrial unit or making expansion or diversification of an unit or for the development of infrastructure facilities in the State) as specified in their project report.

4-The total requirement of land or shed or industrial tenement for the purpose specified.....and has been allotted.....acres of land for which exemption of stamp duty of Rs..... required/ applied for.

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

5. That the Allottee has applied for the stamp duty exemption Rs..... under the scheme vide his application dated..... enclosing project report.

6. That the certifying agency, after considering the application and records provided by the Allottee and examining the requirement of land or shed or industrial tenement for the purpose specified, is ready to certify and execute the agreement.

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH

1- In pursuance of the sold Agreement, Certifying Agency, the Allottee, hereby covenants -

A. That the Allottee, in case of an industrial unit, will start commercial production, and in case unit is established for any other specified purpose mentioned in the industrial policy, fulfils the said purpose within years as given in said policy from the date of execution of the instruments of sale/lease-deed by the sub-registrar of registration department.

B. That the Allottee will provide an Irrevocable Bank Guarantee in favour of D.M. or Officers of concerning department not below then district level for an amount equal to the amount of exemption from Stomp Duty.

C. That the Allottee will comply with, and faithfully observed all the rules & regulations, relating to the abovesaid scheme, and also all subsequent amendments & additions, as may be inserted by the Order of the State Government.

D. That the Allottee will allow the Officers of the Certifying Agency or concerned General Manager of District Industries Centre or by the State Government to inspect the progress of the unit.

2- It is further hereby agreed & declared by, and between the parties hereto that in any of following cases namely,

a. Where the Allottee fails to furnish the prescribed statement and/or information which is called upon to furnish, or

b. Where the Allottee has obtained the stamp duty exemption by misrepresentation or by furnishing of false information,

c. Where the Industrial units does not commence commercial or fulfils the purpose for which exemption from stamp duty was granted, within.....years from the date of Registration of Instrument.

d. If the Allottee misutilized the exemption from stamp duty, by violating purpos specified in the project-report.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

The District Magistrate shall have the right to encash the bank-guarantee and deposit the amount in the suitable head of the Stamp & Registration department.

3- All the disputes shall be subject to the Jurisdiction of Court's at.....

4-The Allottee, hereby further declares, undertake and confirm that the above information is true to best of my knowledge and belief.

In Witness whereof the Allottee, Namelyhas/have set(s) his/there hand to this Agreement on the day, month and in the year above mentioned.

Allottee

Certifying Agency

For M/s..... For.....

Witness

Common seal of M/s...
Affixed in my/our presence

1-

2-

AFFIXED IN MY/OUR PRESENCE

(Stamp & Signature, with Date of Oath Commr.)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-ग

"उत्तरप्रदेश.....नीति 20..... के अन्तर्गत महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/प्रख्यापक विभाग के जिला स्तर से अनिम्न प्राधिकारी द्वारा प्रयोजन की पूर्ति अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने का भौतिक सत्यापन करते हुए दिया जाने वाला प्रमाण पत्र

1. विकासकर्ता/इकाई का नाम.....
2. विकासकर्ता/इकाई का पता.....
3. प्राप्त किये गये भूमि अथवा शेड अथवा औद्योगिक टेनमेन्ट क्रय/लीज पर प्राप्त करने का प्रयोजन.....
4. औद्योगिक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की प्रस्तावित तिथि अथवा औद्योगिक पार्को एस्टेटो/एग्रो पार्क के विकास से सम्बन्धित विकासकर्ता/इकाईयों की दशा में प्रयोजन की पूर्ति होने की तिथि.....
5. जमा किये गये बैंक गारण्टी का विवरण तिथि सहित.....
6. स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त की गयी धनराशि का विवरण.....
7. स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करने हेतु भूमि शेड अथवा औद्योगिक टेनमेन्ट का विवरण.....

भूमि शेड अथवा औद्योगिक टेनमेन्ट का विवरण (खसरा)	क्षेत्रफल एकड़ में	भूमि शेड अथवा औद्योगिक टेनमेन्ट का कुल क्षेत्रफल जो निहित उद्देश्य से आच्छादित है
1		
2		
3		
योग		

प्रमाणित किया जाता है कि विकासकर्ता/इकाई द्वारा उपरोक्तानुसार औद्योगिक इकाई ने वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक.....को प्रारंभ कर दिया गया है।

अथवा

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित इकाईयों की दशा में प्रयोजन पूर्ति की प्रस्तावित को प्रयोजनक दिनांक.....की जा चुकी है।

उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त की गयी भूमि शेड अथवा औद्योगिक टेनमेन्ट का भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त विकासकर्ता/इकाई द्वारा जमा किये गये। बैंक गारण्टी को इकाई को वापस किये जाने की संस्तुति की जाती है।

विकासकर्ता/इकाई के सन्दर्भ में दी गयी सूचना अनुबन्ध व उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार है। तथा समस्त अंकित विवरण सत्य है जिसके आधार पर स्टाम्प ड्यूटी में देय कूल रूपये..... की छूट हेतु जमा की गयी बैंक गारण्टी वापस किये जाने की अनुशंसा की जा रही है।

अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

दिनांक-

स्थान-

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।